संख्या: एसटीइ–ए (4)–5 / 2008
हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौ0 विभाग

Department of Environment, Science & Technology
Diary No. 3145
Dated 1/3/2011
Shimla H.P.

प्रेषक:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्या0, वि0 एवं प्रौ0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

सदस्य सचिव,
हि0 प्र0 राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकि एवं पर्यावरण परिषद,
34 एस0डी0ए0 काम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–9 ।

3443.
Date 08/03/2011.

दिनांक: शिमला–2, फरवरी, 2011

विषय: हि0 प्र0 राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकि एवं पर्यावरण परिषद में विभिन्न श्रेणियों के पदों का सृजन ।

Dr. Randhawa for further n/a on notification from AD
JMS ACCF(RA)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में 'राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र' की स्थापना हेतु हि0 प्र0 राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकि एवं पर्यावरण परिषद में कोर व अनुबन्ध कर्मचारियों के 12 पदों के सृजन के मामले पर मन्त्रि–मण्डल की बैठक दिनांक 15–2–2011 को विचार–विमर्श किया गया और समीक्षा उपरान्त निम्न प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया :–

क्रम संख्या	प्रस्तावित पद	पदों की संख्या	प्रावधान	वेतनमान
	कोर स्टाफ (Core Staff)			
1	प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी	01	परिषद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अनुसार ।	₹ 15600–39100+ ग्रेड पे ₹ 7600 /–
2	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	01	परिषद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अनुसार ।	₹15600–39100+ ग्रेड पे ₹ 6600 /–
3	वैज्ञानिक अधिकारी	01	परिषद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अनुसार ।	₹ 10300–34800+ ग्रेड पे ₹ 5000 /–
	संविदा कर्मचारी (Contractual Staff)			
1	तकनिकी प्रोफेशनल / वैज्ञानिक प्रोफेशनल	06	सम्बन्धित क्षेत्र में स्नातकोतर उपाधी सहित कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।	₹ 18,000 /– (Fixed) प्रति मास, 3% वार्षिक वृद्धि
2	आंकडे प्रविष्टि प्रचालक (Data Entry Operator)	03	दस जमा दो के साथ कम्पयूटर संचालन में कम से कम एक वर्ष का डिपलोमा / प्रशिक्षण तथा कुशल टंकण दक्षता ।	₹ 7,810 /– (Fixed) प्रति मास, 3% वार्षिक वृद्धि

साथ ही यह भी अनुमोदित किया गया कि कोर स्टाफ जो कि स्थायी श्रेणी का होगा को छोड़ कर, संविदा (Contract) कर्मचारियों की सेवाएं NRTC, DOEACC जैसी उचित सेवा प्रदाती संस्थाओं के माध्यम से ली जाएगी ।

231

इसके अतिरिक्त यह भी अनुमोदित किया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अनुदान के रूप में राज्य विज्ञान, प्रौद्यौगिकि एवं पर्यावरण परिषद को प्रतिवर्ष ₹ 1.00 करोड़ इस केन्द्र को पूर्ण रूप से संचालित करने हेतु उपलब्ध करवाएगा, जिस का उपयोग प्रस्तावित केन्द्र के संचालन एवं स्टाफ इत्यादि पर किया जायेगा । राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा पूर्व में जारी अनुदान राशि की 75% राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र देने पर ही राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ₹ 1.00 करोड़ की अगली किश्त जारी करेगा । राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के सतत् संचालन के लिये राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को, कम से कम पांच वर्षों के लिए अनुदान राशि सुनिश्चित करनी होगी, जिसकी समीक्षा पांच वर्ष पश्चात् पर्यावरण, विज्ञान एव प्रौद्यौगिकि विभाग द्वारा की जायेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त पदों के सृजन की कार्रवाई नियमानुसार अम्ल में लाई जाए और कृत कार्रवाई से इस विभाग को 10 दिनों के भीतर अवगत करवाने की कृपा करें ताकि सामान्य प्रशासन विभाग को तदनुसार अवगत करवाया जा सकेगा ।

भवदीय,

संयुक्त सचिव (पर्या० वि० एवं प्रौ०)
हि० प्र० सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त, दिनांकः शिमला–2, 28 फ़रवरी, 2011

प्रतिलिपिः

1. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन), हि० प्र० सरकार को मन्त्रि–मण्डल की बैठक दिनांक 15–2–2011 को मद संख्या 14 के अन्तर्गत लिए निर्णय के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. निदेशक (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकि), हि० प्र०, नारायण विला, शिमला–2 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संयुक्त सचिव (पर्या० वि० एवं प्रौ०)
हि० प्र० सरकार ।